ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्या - मु0क0आ0/2008/ 378 ।।.D4
दिनांक - 12 मई 2008

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के आबंटी की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांतरण तथा आबंटी की वसीयत / नॉमिनी के आधार पर नामांतरण के संबंध में पूर्व के समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित की जाती है:-

मृत्यु उपरान्त नामांतरण

1. आबंटी / अंतरिकी की मृत्यु के उपरान्त नामांतरण के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि यह प्रमाण-पत्र, किन्हीं कारणवश, उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदक (मृतक का वह संबंधी जिसने अपने नाम मे नामांतरण हेतु आवेदन किया हो) द्वारा किसी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र में इस आशय की सूचना स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराई जायेगी कि श्री ....(मृतक) को आबंटित सम्पत्ति का नामांतरण आवेदक के पक्ष में किया जा रहा है। इस नामांतरण पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वे 35 दिनों के भीतर प्राधिकरण मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. निर्धारित समय के भीतर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आवेदक को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर, नामांतरण की कार्यवाही निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर सम्पादित कर दी जायेगी -

औपचारिकतायें -

i) आवेदक द्वारा नामांतरण का प्रार्थना-पत्र।

ii) आवेदक की ओर से रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बॉड (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)।

iii) रुपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित) आवेदक की ओर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि मृतक आबंटी से उनका क्या संबंध है, उनके उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन कौन कानूनी उत्तराधिकारी हैं तथा आवेदक उक्त सम्पत्ति का अपने नाम में नामांतरण कराना चाहते हैं।

iv) अन्य सभी उत्तराधिकारियों के आवेदक के पक्ष मे सम्पत्ति नामांतरण हेतु कोई आपत्ति नहीं है, के शपथ-पत्र रुपये 10/- के पृथक पृथक स्टाम्प पेपर पर दिये जाने होंगे।

v) आवेदक तथा अन्य समस्त उत्तराधिकारियों के फोटोग्राफ्स तथा हस्ताक्षर (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन में राजपत्रित

अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मुहर तथा दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी आवश्यक है।

vi) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

vii) प्रोसेसिंग शुल्क मद में रुपये 1000/- के भुगतान की रसीद की प्रति।

वसीयत के आधार पर अन्तरण / नामांतरण

1. आबंटी की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के आधार पर नामांतरण करने के लए वसीयता को प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वसीयत के आधार पर अन्तरण तभी किया जायेगा जब लाभार्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जाये कि प्रश्नगत वसीयत अन्तिम वसीयत है और उसे खंडित नहीं किया गया है।

2. वसीयत के आधार पर नामांतरण के पूर्व लाभार्थी द्वारा किसी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र में इस आशय की सूचना स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराई जायेगी कि श्री ..... (मृतक) का आबंटित सम्पत्ति का नामांतरण वसीयत के आधार पर आवेदक के पक्ष में किया जा रहा है। इस नामांतरण पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वे 35 दिनों के भीतर प्राधिकरण में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. निर्धारित समय के भीतर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आवेदक को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर, वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर सम्पादित की जायेगी -

औपचारिकतायें -

i) वसीयत के आधार पर नामांतरण के पूर्व लाभार्थी द्वारा रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धनामा देना होगा।

ii) आवेदक का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन में राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मुहर तथा दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी आवश्यक है।

iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

iv) प्रचलित हस्तांतरण शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क मद में रुपये 1000/- के भुगतान की रसीद की प्रति। यदि वसीयत ब्लडरिलेशन की श्रेणी में है तो हस्तांतरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

नॉमिनी के आधार पर अंतरण / नामांतरण

यदि आवंटी द्वारा अपने जीवन काल में अपनी मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए निर्धारित प्रारूप पर निर्दिष्ट स्थान पर कार्यालय में नॉमिनेशन पत्र जमा किया है तो निम्नलिखित औपचारिकतायें/प्रपत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे-

औपचारिकतायें

i) जिसके पक्ष में नामिनेशन किया गया है, उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र।

ii) मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

iii) रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धनामा देना होगा जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।

iv) नॉमिनी व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं फोटो, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

v) प्रचलित हस्तांतरण शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क मद में रुपये 1000/- के भुगतान की रसीद की प्रति। यदि नॉमिनी के आधार पर अन्तरण/नामांतरण ब्लडरिलेशन की श्रेणी में है तो हस्तांतरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(ललित श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. [illegible] विभाग [illegible]
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति)
5. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति)/उद्योग/आई0टी0

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी